

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
परिवाद संख्या 26 / 2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश छापरवाल पुत्र श्री रामवल्लभ छापरवाल (विक्रेता एवं होलसेलर) जाति वैश्य मैसर्स रामपुष्प ओवरसीज प्लॉट नं0 307, रॉयल एन्कलेव मॉडल टाउन, मदनगंज किशनगढ, अजमेर
2. मैसर्स रामपुष्प ओवरसीज प्लॉट नं0 307, रॉयल एन्कलेव मॉडल टाउन, मदनगंज किशनगढ, अजमेर
3. नोमिनी निर्माता-श्री रमेश सिंह रावत, क्वालिटी एश्योरेन्स मैनेजर मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज, प्रा0लि0 प्लॉट नं0 एस पी 39-40, रीको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा, चौमू, राजस्थान पिन-303801
4. मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज, प्रा0लि0 प्लॉट नं0 एस पी 39-40, रीको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा, चौमू, राजस्थान पिन-303801

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 व 52 के तहत

उपस्थित :

- 1- श्री जयसिंह बैस, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
- 2- श्री एस0के0 टेलर, वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक- 16.03.2021

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्डेड स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.05.2015 को 03.30 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स रामपुष्प ओवरसीज प्लॉट नं० 307, रॉयल एन्कलेव मॉडल टाउन, मदनगंज किशनगढ, अजमेर पर पहुंचे श्री मुकेश छापरवाल पुत्र श्री रामवल्लभ छापरवाल, जाति वैश्य मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका)** का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान में 1.25 लीटर की प्लास्टिक बोतलों में लगभग 1000 लीटर **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका)** आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमें से पैकड 12 बोतलें प्रत्येक 1.25 लीटर नमूना जॉच हेतु खरीदी एवं राशि रुपये 660/- रुपये श्री मुकेश छापरवाल पुत्र श्री रामवल्लभ छापरवाल को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मुकेश छापरवाल को सम्मलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका)** के 1.25 लीटर की 12 बोतलों को चार हिस्सों (प्रत्येक में 03 बोतल) में बांटकर नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक AJ-675 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डीओ एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2015/7380 दिनांक 01.09.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल.एस-1267/एक्ट/2015/751 दिनांक 20.08.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड**



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

(लिमका) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zi)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु रामपुष्प ओवरसीज प्लॉट नं० 307, रॉयल एन्कलेव मॉडल टाउन, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर से पत्र क्रमांक 7251 दिनांक 27.08.2015 व मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज, प्रा०लि० प्लॉट नं० एस पी 39-40, रीको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा, चौमू, राजस्थान पिन-303801 से पत्रांक 7420 दिनांक 03.09.2015 द्वारा मालिक/पार्टनर के नाम/पते की सूचना द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा पत्र नं० 12214009001192 एवं क्रय बिल संख्या 7051021187 दिनांक 20.05.2015 की छायाप्रति पेश की गई एवं मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज, प्रा०लि० प्लॉट नं० एस पी 39-40, रीको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा, चौमू, राजस्थान पिन-303801 ने प्रतिउत्तर नोमिनी फॉर्म नं० 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जिसमें श्री रमेश सिंह रावत (नोमिनी) Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd. SP 39-40 RIICO Industrial Area, Kaladera, Chomun, Rajasthan का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 02.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं वकील अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका)** निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होने के आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य उत्पाद में मिलाई गई शर्करा की मात्रा एवं कृत्रिम स्वाद का सामान्य नाम उत्पाद के लेबल पर अंकित न होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन माना है। इस सम्बन्ध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.स.1-94(1) एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा विनियम 2.010.6(1)(1) में संशोधन किया जा चुका है। जिसके अनुसार मिलाई गई शर्करा की मात्रा एवं कृत्रिम स्वाद का लेबल पर अंकन किये जाने को विलोपित कर दिया गया है। अतः शर्करा की मात्रा एवं कृत्रिम स्वाद को अब गैर एल्कोहॉलिक कार्बनिकृत बेवरेजेज पर अंकित करना अनिवार्य नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा पश्चातवर्ती मापदण्ड लगा देने से नमूना मिसब्राण्डेड पाया गया है जो विधिनुकूल नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपनी एडवायजरी दिनांक 08.12.2017 से ऐसे प्रकरणों को विज्ञो किये जाने बाबत निर्देशित किया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
तिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

ध्यान 2016 (1) FAC 561 पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया, जिसके अंतर्गत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "पीनल लॉ विधि" में प्रकरण के निर्णय से पूर्व हुए कानूनी संशोधन का लाभ "Retrospective Effect" से आरोपी को दिया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विवेचना इस प्रकार है - "A retrospective statute is different from an ex post facto statute. "Every ex post facto law...." "Must necessarily be retrospective law is not an ex post facto law. Every law that takes away or impairs rights vested agreeably to existing laws is retrospective, and is generally unjust and may be oppressive; it is a good general rule that a law should have no retrospect, but in cases in which the laws justly and for the benefit of the community and also of individuals relate to a time antecedent to their commencement: as statutes of oblivion or of pardon. They are certainly retrospective, and literally both concerning and after the facts committed. But I do not consider any law ex post facto within the prohibition that mollifies the rigour of the criminal law, but only those that create or aggravate the crime, or increase the punishment or change the rules of evidence for the purpose of conviction. There is great and apparent difference between making an unlawful act lawful and the making an innocent action criminal and punishing it as a crime."

"It is quite clear that insofar as the Central Amendment Act creates new offences or enhances punishment for a particular type of offence no person can be convicted by such ex post facto law nor can the advanced punishment prescribed by the amendment be applicable. But insofar as the Central Amendment Act reduces the punishment for an offence punishable under section 16(1)(a) of the act, there is no reason why the accused should not have the benefit of such reduced punishment." वकील अप्रार्थीगण का आगे कथन है कि इस प्रकरण में अभी तक निर्णय पारित नहीं होने से भारत के राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित संशोधन से आक्षेपित उल्लंघनता का विनियम 2.10.6(1)(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में शर्करा की मात्रा लेबल पर घोषणा स्वरूप अंकित करने का प्रावधान विलोपित कर दिये जाने के कारण प्रकरण में कार्यवाही सारहीन हो गई है। उक्त संशोधन का लाभ अप्रार्थीगण को न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के तहत दिया जाना न्यायसंगत है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उत्पाद को उसी अवस्था में विक्रय किया गया है जिस अवस्था में उनके द्वारा क्रय किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 धारा 80(B)(2)(d)(i) FSSA 2006 के तहत आक्षेपित मिसब्राण्ड के आरोप के लिये उत्तरदायी नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान 2018 (1) FAC 118 पर माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश) द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि इस प्रकार उक्त स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका) मिसब्राण्ड नहीं है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा



खाद्य निगरायक अधिकारी एवं  
रेक्ट जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर पैकड (लिमका) का नमूना दिनांक 22.05.2015 को लिया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 20.08.2015 को जारी की गई है, जिसमें शर्करा की मात्रा एवं कृत्रिम स्वाद अंकित न होने से खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZI)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड माना है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 11.09.2017 के द्वारा खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) में उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी दिनांक 08.12.2017 से ऐसे मामलों को विड़ो किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में निर्णय से पूर्व उक्त संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी उक्त अधिसूचना से किये गये संशोधन का लाभ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत अप्रार्थीगण को दिया जाना न्यायसंगत है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) एवं 51, 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2015 में वर्णित विनियम 2.2.2(5)(ii) व 2.10.6(1)(1) की उल्लंघनता का आरोप संदेह रहित तौर पर प्रमाणित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (अ.न.) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2021/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
- 2- अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर